



Telephone(Direct):0484-2394104
EPABX : 0484-2390404

Fax :0484-2390608
email :cexcochi@nic.in

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय /MINISTRY OF FINANCE, राजस्व विभाग /DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX

केन्द्रीय राजस्व भवन : आई. एस. प्रेस. रोड : कोचिन -682 018

CENTRAL REVENUE BUILDING: I.S.PRESS ROAD: COCHIN-682 018

सी.सं./C.No.IV/16/05/2015-RTI

दिनांक/dated:30.05.2016

व्यापार सूचना/TRADE NOTICE NO:05/2016

विषय:-सूचना अधिकार अधिनियम, 2005-प्रथम अपील अधिकारी एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति - संबन्धित.

Sub :- Right to Information Act, 2005-Appointment of First Appellate Authority & CPIO - Reg.

व्यापार, उद्योग एवं आम जनता इसके साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमति. बी. उषा देवी, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर को श्री एस. नास्सर खान, संयुक्त आयुक्त के स्थान पर प्रथम अपील अधिकारी के रूप में एवं श्रीमति. सुनयना कृष्णन, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, आयुक्तालय को श्री रणबीर बोस, सहायक आयुक्त के स्थान पर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना / दस्तावेजों की प्रकटीकरण के लिए अपील एवं आवेदनों / अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.02.14 की व्यापार सूचना सं. 21 /2014 की तालिका के अनुबंध-I एवं अनुबंध-II (क्र.सं.-4) में सूचित अनुसार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

Trade, Industry and General Public are hereby informed that, Smt.B. Usha Devi, Joint Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax has been designated as First Appellate Authority in the place of Shri.S. Nasser Khan, Joint Commissioner & Smt.Sunayana Krishnan, Assistant Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax of C.Ex. Headquarters Office in place of Shri.Ranbir Bose, Assistant Commissioner has been designated as Central Public Information Officer (CPIO) for the purpose of receiving appeals & applications/requests for disclosure of information/documents under Right to Information Act, 2005 as shown at Annexure I and Annexure II (Sl.No.4) of Trade Notice No.21/2014 dated 06.02.2014.

क्र.सं./ Sl.No.	नाम व पदनाम/ Name & Designation	क्षेत्राधिकार/Jurisdiction		सी.पी.आई.ओ. का पता एवं दूरभाष सं./Address and Telephone No. of the CPIO
			क्षेत्र/Area	
1	श्रीमती. बि. उषा देवी, संयुक्त आयुक्त एवं प्रथम अपील अधिकारी/ Smt. B. Usha Devi, Joint Commissioner & 1 st Appellate Authority	कोचिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय / Cochin Central Excise Commissionerate	जैसा व्यापार सूचना सं.21/2014 दिनांक:06.02.2014 के अनुबंध -I में उल्लिखित है/As mentioned in Annexure I of Trade Notice No.21/2014 dated 06.02.2014	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्यालय, केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस.रोड: कोचिन- 682018/ Central Excise, Customs & Service Tax Hqrs Office, Central Revenue Building, I. S. Press Road, Cochin - 682018. Phone: 0484-2390404. Fax: 0484-2390608. Email: cexcochi@excise.nic.in

2	श्रीमति.सुनयना कृष्णन, सहायक आयुक्त एवं सी.पी.आई.ओ./ Smt. Sunayana Krishnan, Assistant Commissioner & CPIO	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्यालय, कोचिन/ Central Excise, Customs & Service Tax Hqrs. Office, Cochin.	जैसा व्यापार सूचना सं.21/2014 दिनांक:06.02.2014 के अनुबंध -I में उल्लिखित है/As mentioned in Annexure I of Trade Notice No.21/2014 dated 06.02.2014	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस.रोड: कोचिन- 682018/ Central Excise, Customs & Service Tax Hqrs Office, Central Revenue Building, I. S. Press Road, Cochin - 682018. Phone: 0484-2390404. Fax: 0484-2390608. Email: cexcochi@excise.nic.in
---	---	---	--	---

Reshma Lakhani
(रेशमा लखानी/RESHMA LAKHANI)
आयुक्त/COMMISSIONER

प्रति /Copy to: 1.सभी संबन्धित अधिकारी /The concerned officers

2.प्रेषण सूची 1,2,3 के अनुसार / As per Distribution List No.I, II & III.

सूचना हेतु प्रति प्रस्तुत है /Copy for information submitted to :-

1. सदस्य (सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली
The Member (Customs/Excise), CBEC, New Delhi.
2. निरीक्षण महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, डी -ब्लॉक, आई पी एस.रोड, नई दिल्ली
The Director General of Inspection, Customs & Central Excise, D-Block, I.P.Estate, New Delhi.
3. सिस्टेम्स महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, होटल सम्राट, नई दिल्ली
The Director General of Systems, Customs and Central Excise, Hotel Samrat, New Delhi.
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद,सीमा शुल्क एवं सेवा कर, केरल क्षेत्र, कोचिन
The Chief Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
5. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कलिकट एवं त्रिवेन्द्रम-इस अनुरोध के साथ कि वे इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रचार करें
और विभिन्न व्यापार संघों और आर.ए.सी. आदि के सदस्यों को भेजें
The Commissioner, Central Excise, Calicut & Trivandrum with a request that they may give wide publicity to this
trade notice and may be sent to various Trade Associations & members of RAC etc. also
6. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन
The Commissioner of Customs, Customs Preventive Commissionerate, Cochin.
7. आयुक्त (अपील),कोचिन
The Commissioner (Appeals), Cochin.
8. सभी महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/निदेशालयों के आयुक्त
All Director General/Chief Commissioners /Commissioners of Directorates
9. सूचना पट्ट/Notice Board.